24	Nagaland	4701	
25	Chandigarh	3926	832
26	Manipur	3866	
27	Meghalaya	2872	
28	Arunachal Pradesh	2474	
29	Andaman and Nicobar Islands	2123	
30	Puducherry	1249	
31	Goa	971	
32	Daman and Diu	804	
33	Dadra and Nagar Haveli	759	
34	Mizoram	606	
35	Sikkim	122	
36	Lakshadweep	21	
Total		3983801	506603
		Grand Total	4490404

श्री उपसभापति : राज्य सभा की कार्यवाही अपराह्न दो बजे तक स्थगित की जाती है। The House is adjourned till 2.00 P.M.

[*Answers to Starred and Unstarred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part-I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link* https://rajyasabha.nic.in/Debates/OfficialDebatesDateWise]

The House then adjourned at five minutes past twelve of the clock.

The House reassembled at two of the clock,
MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*

GOVERNMENT BILL

The Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2021

SHRI DIGVIJAYA SINGH(Madhya Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, what about Rule 267?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Mahesh Poddar to continue his speech.

श्री जयराम रमेश (कर्नाटक): सर, रूल 267 का क्या हुआ?

श्री उपसभापति : माननीय चेयरमैन साहब उस पर निर्णय ले चुके हैं, मैं उस पर दोबारा कुछ नहीं कह सकता। यह Ordinance replacing Bill है। हम सबकी Constitutional requirement है। इसकी तिथि आज खत्म होगी। **...(व्यवधान)...** मैंने आप सबसे अनुरोध किया है। **...(व्यवधान)...** श्री महेश पोद्दार जी, आप कल बोल रहे थे, आप अपना भाषण जारी रखें। Nothing else will go on record. मैं बार-बार आग्रह कर रहा हूं। **...(व्यवधान)...**

श्री महेश पोद्दार (झारखंड): उपसभापति महोदय, जैसा मैं कल कह रहा था कि मार्च, 2017 में Enemy Property (Amendment and Validation) Act, 2017 पर चर्चा हो रही थी। **...(व्यवधान)...** मैं परेशान था कि इस बिल को पुराने समय से effective क्यों किया जा रहा है? **...(व्यवधान)...** और वैसे बिल, जबकि राष्ट्रीय सम्पत्ति को राष्ट्र के लिए लेना हो, उसके लिए कानून की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? **...(व्यवधान)...** फिर मैंने जब माननीय जेटली जी का भाषण सुना तो पता चला कि कैसे राजा ऑफ महमूदाबाद द्वारा **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति : मेरा आग्रह है कि वैल में न आएं, कृपया अपनी सीट पर जाएं। अन्य कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। **...(व्यवधान)...**

श्री महेश पोद्दार : हमारे ही कानून को ढाल बनाकर कैसे लखनऊ के हज़रतगंज में महमूदाबाद किले को **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति : आप जानते हैं कि यह Ordinance replacing Bill है। आप सबसे अनुरोध है कि अपनी सीट पर जाएं। **...(व्यवधान)...**

श्री महेश पोद्दार : जो देश की सम्पत्ति है, उसको निजी सम्पत्ति बताया जा रहा है। **...(व्यवधान)...** मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इन चीज़ों को रोकने के लिए उस समय The Enemy Property (Amendment and Validation) Act, 2017 लेकर आयी।**...(व्यवधान)...**

आज जब मैं इस कानून को देख रहा हूं, तो समझ में आता है कि क्यों इस कानून को back date से लाया गया और क्यों इस कानून की आवश्यकता पड़ी। **...(व्यवधान)...** इसके पीछे भी महमूदाबाद किले जैसी बहुत सारी कहानियां हैं, जिनमें हमारे कानून को ढाल बना कर गलत तरीके से arbitration से award लिए जाते हैं। **...(व्यवधान)...** इस Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2021 से ऐसी illegal practices को रोकने के लिए यह कानून लाया गया है। **...(व्यवधान)...**

महोदय, The Enemy Property (Amendment and Validation) Act, 2017 की तरह जब इस बिल और संशोधन के प्रस्ताव को मैं देखता हूं **...(व्यवधान)...** तो मन में एक प्रश्न कौंधता

है कि ऐसे बिल की या ऐसे संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? ...**(व्यवधान)**... विशेषकर आनन-फानन में ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, फिर retrospective effect से लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ...**(व्यवधान)**... इससे यह पता चलता है कि कहीं न कहीं धुआं है और अगर धुआं है तो कहीं न कहीं आग भी होगी। ...**(व्यवधान)**... जब fire fighting का इंतज़ाम किया जा रहा है तो स्वाभाविक है कि जो affected लोग हैं, उनके द्वारा हल्ला भी किया जाएगा। ...**(व्यवधान)**... महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह आग कहां लगी है? ...**(व्यवधान)**... किसने यह आग लगायी है, किसने यह धोखाधड़ी की है ...**(व्यवधान)**... जिसके कारण यह कानून बनाना पड़ा है। ...**(व्यवधान)**... मैं समझता हूं और माननीय मंत्री जी से मेरी यह अपेक्षा होगी कि वे देश को बताएं कि किन लोगों ने यह काम किया, ...**(व्यवधान)**... किस कारण से ऐसा कानून बनाना पड़ा, इसके पीछे क्या-क्या गड़बड़ियां हुई और इसका इतिहास क्या है? ...**(व्यवधान)**... यह समझना आवश्यक है। ...**(व्यवधान)**... देश यह जानना चाहता है, भारत यह जानना चाहता है कि इस कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? ...**(व्यवधान)**... कहने का अभिप्राय यह है कि यदि बात भ्रष्ट तरीके से लिए गए अवाड्र्स या contracts की हो रही है, ...**(व्यवधान)**... ऐसे मामलों पर स्टे के प्रावधान पर सदन चर्चा कर रहा है तो ज़ाहिर है कि देश को ऐसे कुछ मामलों से दो-चार होना पड़ा है, ...**(व्यवधान)**... हम भ्रष्ट गतिविधियों का शिकार भी हुए होंगे। ...**(व्यवधान)**...

महोदय, मेरी आशंका निर्मूल नहीं है। ...**(व्यवधान)**... देश लगातार तरक्की कर रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... हम ऐसे दौर में, जबकि पूरी दुनिया के बॉर्डर खत्म हो रहे हैं, ...**(व्यवधान)**... दुनिया भर की कंपनियां और निवेशक सरकारों के साथ और निजी क्षेत्रों के साथ contract कर रहे हैं, ...**(व्यवधान)**... तो एक आवश्यकता हो जाती है कि contract का पालन सही तरीके से हो। ...**(व्यवधान)**... वह contract सही तरीके से बने, supply, consultancy, ठेकेदारी, भुगतान, विवाद, arbitration, award आदि ...**(व्यवधान)**... पूरी चेन है और इस पूरी चेन में एक जगह भी यदि कोई बेईमानी होती है, ...**(व्यवधान)**... तो उसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है, हर concerned व्यक्ति पर पड़ता है। ...**(व्यवधान)**... महोदय, करदाता और ultimately सर्वप्रथम...**(व्यवधान)**... यहां की पब्लिक होती है, करदाता होता है। उन्हें पता भी नहीं चलता है कि उनकी गाढ़ी कमाई पर डाका पड़ गया है। ...**(व्यवधान)**... मैं मंत्री जी से फिर अनुरोध करूंगा कि वे इस सदन को बताएं कि ऐसी गड़बड़ कब हुई, ...**(व्यवधान)**... पूरी चेन में गड़बड़ी कहां-कहां हुई है, कब-कब हुई है, यह देश जानना चाहेगा। ...**(व्यवधान)**...

महोदय, मेरी जानकारी में पिछले कुछ वर्षों में कई bilateral agreements भी cancel किए गए हैं, ...**(व्यवधान)**... जहां सरकार litigation में है, कई राज्य सरकारें भी litigation में हैं, तो करार रद्द करने की आवश्यकता क्या पड़ी? ...**(व्यवधान)**...

महोदय, इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, उनमें clause-3 में एक 'परन्तुक' लगाया गया है, ...**(व्यवधान)**... जिसमें आर्बिट्रेशन और कैंसिलेशन एक्ट, 1996 में संशोधन का प्रस्ताव है, जिसमें सेक्शन-36 में सब-सेक्शन-3 में एक 'परन्तुक' जोड़ने का है ...**(व्यवधान)**... कि यदि किसी कारण से, बेईमानी से भी अगर *prima facie* कहीं न कहीं गड़बड़ की आशंका है, तो कोर्ट उस award को stay कर देगा। ...**(व्यवधान)**...

महोदय, हम सब जानते हैं, जो लोग भी व्यापार से संबंधित हैं, ...**(व्यवधान)**... वे जानते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं और अगर वह अवार्ड गलत तरीके से लिया जाता है,

...**(व्यवधान)**... दिया जाता है तो उसके बाद में उसको स्टे कराने के लिए सेक्शन-34 में जब हम कोर्ट में जाते हैं तो वर्षों लग जाते हैं। ...**(व्यवधान)**... इस बीच में ....**(व्यवधान)**.... award को implement करने के लिए पूरी कोशिश की जाती है। ....**(व्यवधान)**.... यह एक अन्याय है। ....**(व्यवधान)**.... मैं समझता हूं कि इस कानून के द्वारा यह अन्याय cancel होगा। ....**(व्यवधान)**....

महोदय, दूसरा जो प्रावधान किया गया है....**(व्यवधान)**.... उसमें जो पुराना Section 8 था ....**(व्यवधान)**.... उसमें एक list थी कि यही लोग arbitrators बनेंगे। ....**(व्यवधान)**.... उस list को हटा दिया गया। क्यों? ....**(व्यवधान)**.... क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि भारत को एक मध्यस्थता केन्द्र का वैश्विक केन्द्र बनाना है, तो हमें उसका विस्तार करना पड़ेगा। ....**(व्यवधान)**....

तीसरा यह कि arbitration कौन लोग कर सकेंगे, ...**(व्यवधान)**....उसके लिए सक्षम व्यक्ति कौन होंगे? ....**(व्यवधान)**....उसके लिए सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। ....**(व्यवधान)**.... उसने अपने हाथ में निर्णय नहीं रखा है ....**(व्यवधान)**.... और न ही किसी कोर्ट को दिया है ....**(व्यवधान)**.... बल्कि Arbitration Council of India को ये सारे अधिकार दिए गए हैं। ....**(व्यवधान)**.... इसके कारण से विश्व के विद्वान लोग arbitration बनने के लायक हो जाएंगे। ....**(व्यवधान)**....

महोदय, हम यदि यह देखें, तो कुछ लोग यह कह सकते हैं कि 'Justice delayed is justice denied'. इसमें कुछ देरी की आशंका हो सकती है। महोदय, हमें इसके साथ ही यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी भारतीय कानून व्यवस्था का एक दूसरा प्रावधान है कि चाहे 100 मुजरिम छूट जाएं, लेकिन एक गैर - मुजरिम को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। मैं इस भावना के साथ....**(व्यवधान)**.... जब प्रधान मंत्री जी चौकीदारी की बात करते हैं, तो वह चौकीदारी ....**(व्यवधान)**.... जहां-जहां ....**(व्यवधान)**.... जो बेईमानी हो रही है ....**(व्यवधान)**.... उसको रोकने के लिए प्रावधान किए गए हैं। ....**(व्यवधान)**.... इसके द्वारा और कड़े प्रावधान किए जाएंगे। ....**(व्यवधान)**.... मैं इस बिल का पुरज़ोर समर्थन और स्वागत करता हूं। ....**(व्यवधान)**.... मैं हाउस से भी अनुरोध करूंगा कि इस बिल के प्रावधानों का स्वागत करे, धन्यवाद।

श्री उपसभापति : डा. अमर पटनायक। ....**(व्यवधान)**.... पटनायक जी, केवल आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी। ....**(व्यवधान)**....

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, on this particular Amendment, I will just start with the fact that it brings out a few words which are very important. *...(Interruptions)...* One is, 'where the court is satisfied that a *prima facie* case is made out'; that is an important part. *...(Interruptions)...* Second is, 'the arbitration agreement or contract which is the basis of the award or making of the award'. *...(Interruptions)...* These are the two aspects; and the third aspect is, 'whether it is induced or affected by fraud or corruption'. So, I will talk about these three aspects. *...(Interruptions)...*

Now, we find that under Section 34 (2)(a) of the Act which has to be read with Section 36, it states that 'An award shall not be set aside merely on the ground of an erroneous application of the law or by re-appreciation of evidence."

...(Interruptions)... So, the question of re-appreciation of evidence is not provided for in Section 34. *...(Interruptions)...* It is not an appeal provision. But how is it possible that a *prima facie* case can be made out without first providing for it in Section 34? This is something which the hon. Minister will be able to clarify. *...(Interruptions)...*

The second aspect that I would like to highlight is that appreciation or any issue of fraud is a mixed fact of law as well as facts, and therefore it cannot be summarily decided unless it is proved. *...(Interruptions)...* And that particular proving would require that they would have to take evidence from sources other than what was provided in the initial arbitral award. *...(Interruptions)...* So, I will really not know how this particular provision will be implemented unless the court is able to reopen the entire case in which case, as was being said by the hon. Member, Poddarji, this might delay the entire process in which case the very purpose of bringing this 2015 Amendment Act would probably get defeated. *...(Interruptions)...*

The second point is, the issue of having the Eighth Schedule, the Eighth Schedule being completely omitted. *...(Interruptions)...* I would like to kindly point out that this particular provision which was introduced in the last Amendment has actually not even come into force. *...(Interruptions)...* The Arbitral Commission has not yet been formed. *...(Interruptions)...* Therefore, I really do not know how the Arbitrators will be appointed in the absence of this particular provision where there will be a vacuum now. *...(Interruptions)...* I think, the hon. Minister will address this particular issue.

With these couple of observations which I am sure the hon. Minister will address, I support the Bill. Thank you so much. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Dr. Amar Patnaik. Shri P. Wilson; absent. *...(Interruptions)...* Shri Ayodhya Rami Reddy. *...(Interruptions)...*

SHRI AYODHYA RAMI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, at the outset, I thank the Chair for permitting me to speak on this important Bill, the Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2021. *...(Interruptions)...*

Sir, as you are aware, the Arbitration Act was enacted with a view to consolidate and amend the law relating to domestic arbitration, international commercial arbitration, enforcement of foreign arbitral awards and the law relating to conciliation. The Amendment ensures that all the stakeholders get an equal opportunity from the Indian courts to seek unconditional stay of enforcement of arbitral awards where the underlying arbitration agreement or making of the arbitral

award is induced by fraud or corruption. *..(Interruption)...* The Amendment also aims to promote India as a hub of international commercial arbitration. The proviso inserted by the Bill stipulates that the court, if satisfied that a *prima facie* case of fraud or corruption has been made out, shall stay the award unconditionally pending disposal of the challenge under Section 34 of the Arbitration Act. The Amendment will prove quite helpful in cases where inherent illegality by fraud or corruption has been *prima facie* shown in court. However, it will be interesting to see how the courts interpret the burden of proving a *prima facie* case of fraud or corruption. *...(Interruptions)...*

The provision of the Bill will also be tested in instances where parties use it to stall the operation of an award by filing a Section 36-application and waste precious time of court. Courts will have to be cautious in formulating a test for granting an unconditional stay on the operation of the award. *...(Interruptions)...*

The Bill seeks to omit the Eighth Schedule of the Act which laid down the qualifications, experiences and norms for accreditation of arbitrators and also specify by regulations the qualifications, experience and norms for accreditation of arbitrators. *...(Interruptions)...*

The 2021 Amendment directly addresses that concern by removing the Eighth Schedule altogether from the Act and replacing it with 'the regulations'. It means that the accreditation of arbitrators will now be governed by the criteria laid down in these 'regulations'. It confirms that the concerns of the international arbitration community are reaching the ears of the Indian policy-makers, which is a very welcome step. *...(Interruptions)...*

The qualifications of the arbitrators are now to be specified by regulations, which have not yet been notified. However, what these 'regulations' might be and by when they would be released, are some of the questions that have been left unanswered. It is only hoped that practitioners and key stakeholders would be consulted in finalizing these regulations to prevent any further controversy on this issue. *...(Interruptions)...*

Sir, in view of the above, our Party supports the Arbitration of Conciliation (Amendment) Bill, 2021. Thank you, Sir. *...(Interruptions)...*

श्री उपसभापति : माननीय विशम्भर प्रसाद निषाद जी, आपका नाम बोलने के लिए है।...**(व्यवधान)**...प्लीज़। श्री के. सोमप्रसाद जी; absent...**(व्यवधान)**... प्रो. मनोज कुमार झा जी, कृपया अपनी सीट पर जाएं और बोलें। ...**(व्यवधान)**... बाकी सब लोग अपनी सीट पर जाएं। माननीय एलओपी कुछ कहना चाहते हैं।

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी अपोज़िशन के नेता लोग हैं, राज्य सभा मैम्बर्स हैं और ऑल पार्टीज़ के नेता हैं, वे सभी इस जगह खड़े होकर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रूल 267 के तहत पहले हमें चर्चा करने का मौका दीजिए। सर, दिल्ली के बॉर्डर पर कम से कम रोज़ाना हज़ारों लोग बैठकर...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: हम इस पर discuss नहीं कर रहे हैं, आपने कहा...**(व्यवधान)**...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: 275 से ज्यादा लोग अब तक अपनी जान दे चुके हैं और 104 दिन ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: हम इस पर discuss नहीं कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, एक मिनट, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : माननीय एलओपी ...**(व्यवधान)**... मैं किसी को भी एलाउ नहीं कर रहा हूं। ...**(व्यवधान)**...प्लीज़, प्लीज़...**(व्यवधान)**... take your seats. मैं किसी को इजाज़त नहीं दे रहा हूं। माननीय एलओपी जी ने कहा, मैंने उन्हें इजाज़त दी और उन्होंने अपनी बात कही। आपने सुना...**(व्यवधान)**...एक मिनट, प्लीज़...**(व्यवधान)**... माननीय चेयरमैन साहब इस पर रूलिंग दे चुके हैं और आप सब लोग इतने अनुभवी हैं। सरकार में रहने और सरकार चलाने का आपका लंबा अनुभव है, यह Ordinance replacing Bill है। ...**(व्यवधान)**... मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया कार्यवाही चलने दें और इसको either way dispose of करें। यह हाउस की परंपरा रही है। मैंने पिछले कई दशकों से देखा है कि Ordinance replacing Bill पर हाउस कैसे काम करता रहा है। कृपया उसके पालन में मेरा सहयोग करें। आप तो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। आप जानते हैं कि माननीय चेयरमैन जिस पर decision दे चुके हैं, मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता हूं। इसलिए मेरा आग्रह होगा और मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि कृपया इस बिल के महत्व को देखते हुए ...**(व्यवधान)**... इसके Constitutional obligation को देखते हुए, हम कम से कम इसको either way dispose of करें। ...**(व्यवधान)**... कृपया इस पर अपनी बात जारी रखें।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: हम हाउस में डिस्टर्ब करने नहीं आए हैं। ...**(व्यवधान)**... हम हाउस को smoothly चलाने के लिए आए हैं।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: प्लीज़, आपस में बात न करें।...**(व्यवधान)**...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: आप लोग चुप रहें, यह सबको मालूम है...**(व्यवधान)**... I know everybody. ...*(Interruptions)*... I know everybody. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: प्लीज़। हाउस की परंपरा रही है और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब माननीय एलओपी बोलते हैं, तो शांति रखते हैं। ...**(व्यवधान)**...हम सुन रहे हैं, अब आप अपनी बात कहें।...**(व्यवधान)**...प्लीज़, आप में से कोई आपस में बात न करें। ...**(व्यवधान)**...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, मेरा इतना ही कहना है कि हमने डेमोक्रेटिक प्रोसीजर के तहत ही आपको रूल 267 के तहत नोटिस दिया था।...**(व्यवधान)**...जब मेम्बर्स हाउस में यहां खड़े हैं, तो आप दूसरे बिल कैसे ले सकते हैं?...**(व्यवधान)**... यह तो डेमोक्रेसी ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: माननीय एलओपी, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत...**(व्यवधान)**...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: यह जो हो रहा है वह रूल्स ऑफ प्रोसीजर के खिलाफ भी है और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी है।...**(व्यवधान)**...वे हमें रूल्स सिखाते हैं।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: माननीय एलओपी, यह रूल्स एंड प्रोसीजर के तहत है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के तहत, हाउस के रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत है कि माननीय चेयरमैन ने जब decision दे दिया, तो हम उसको दोबारा शुरू नहीं कर सकते हैं...**(व्यवधान)**... He has raised a point of order. ...*(Interruptions)*...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, बिल नहीं ले सकते हैं...**(व्यवधान)**...

श्री भूपेन्द्र यादव (राजस्थान)**:** सर, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है, रूल 169...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN**:** Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*... माननीय चेयरमैन साहब ने ऑलरेडी इस अपना ओपिनियन दे दिया है, फाइनल निर्णय ले लिया है और मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता हूं, उस पर मेरी लिमिटेशन्स हैं, यह बात आपको क्लियर है। ...**(व्यवधान)**... Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*... आप अपनी बात रखें।

श्री भूपेन्द्र यादव: सर, रूल 169 है। खरगे साहब बहुत सीनियर मेम्बर हैं, हमारे अपोज़िशन के लीडर हैं, उन्होंने रूल 267 में नोटिस दिया, यह ठीक है। उसके बाद सुबह हमारे जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने अगले हफ्ते का हाउस का जो बिज़नेस है, वह पढ़ा और बिज़नेस में उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स पर डिस्कशन करने वाली है। सर, Rule 169 (vii) says, "It shall not anticipate discussion of a matter which is likely to be discussed in the same session." जब एक सेशन के लिए सरकार कह चुकी है कि मिनिस्ट्री पर चर्चा होने वाली है, तो यह नोटिस ही अपने आप में inadmissible है।...**(व्यवधान)**...क्योंकि ये एक illegal notice में illegal तरीके से संसद को चलने नहीं देना चाहते हैं।...**(व्यवधान)**... आप यह कौन सा रूल बता रहे हैं?...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: प्लीज़। मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपनी सीट पर जाएं।...**(व्यवधान)**... श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार। प्लीज़, आप बोलें। आपकी बात ही रिकॉर्ड में जा रही है, कुछ और रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है।

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Sir, I am thankful to the hon. Deputy Chairman for giving me the opportunity to speak on this Bill. The object of the proposed Amendment is that a need was felt to ensure that all the stakeholders ...*(Interruptions)*... get an opportunity to seek unconditional stay of enforcement of arbitral awards and to promote India as a hub of international arbitrations by attracting eminent arbitrators. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापतिः प्लीज़। कोई और बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। सिर्फ रवींद्र कुमार जी की बात रिकॉर्ड में जा रही है।...**(व्यवधान)**....

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: I need some clarifications from the hon. Minister with regard to the proposed Amendment. The purposes mentioned are that it is user-friendly, cost-effective, speedy disposal as well as neutrality of the arbitrator. As far as the speedy disposal of cases is concerned, I would like to know whether this is giving unconditional stay to proceedings, or to the awardees a speedy implementation of this. So, the intent of the Bill itself is very much doubtful. ...*(Interruptions)*...

The first point is with regards to unconditional stay. Section 36 of the Act is very clear about it. ...*(Interruptions)*... I would like to refer to Section 36, clause 3, "upon filing of an application for stay of the operation of the arbitral award, the court may, subject to such conditions as it may deem fit, grant stay". ...*(Interruptions)*...

In case of fraud, if there is coercion or there is undue influencing or if there is corruption, definitely, the court is having absolute authority to grant stay of the operation of such awards for the reasons to be recorded in writing. ...*(Interruptions)*... Then, what else is required to have a stay? Grant of stay is purely within the discretion of hon. court. ...*(Interruptions)*...

However, Section 36(3) is sufficient to grant stay on the operation of award and there is no need to make a provision for unconditional stay further. ...*(Interruptions)*... The proposed Amendment may cause delay in proceedings further. ...*(Interruptions)*...

Another aspect is with regard to retrospective effect. The Bill lacks logic and reasoning. ...*(Interruptions)*... If it is implemented with retrospective effect, it means

that all the cases, in which awards are already passed and appeal is pending, are going to be affected because of this particular stipulation. ...*(Interruptions)*...

We have to be the hub of international arbitration. We want to make India the hub of arbitration. How will the businessmen and investors come if provisions are put in this Bill which will result in delay of arbitration proceedings by virtue of these Amendments? ...*(Interruptions)*...

The second Amendment is with regard to omission of Eighth Schedule. By virtue of Section 43(1), the qualifications and experience of an arbitrator are very clear. ...*(Interruptions)*... Now, the Parliament has the right to prescribe the qualification of an arbitrator. This right is being taken away by virtue of omission of Eighth Schedule. We have to create a mechanism to see that there is a minimum judicial interference in the award passed through arbitration. ...*(Interruptions)*... Will this proposed Amendment serve the purpose or not? I seek these clarifications from the hon. Minister. However, I support the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Satish Chandra Misra, not present. ...*(Interruptions)*... Shrimati Vandana Chavan...*(Interruptions)*...

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Sir, as a mark of protest, I don't wish to speak on the Bill. ...*(Interruptions)*... On the one side, we are agitating for the farmers of this country; on the other side, we are passing a Bill which favours the industrialists, which is absolutely not done. It is absolutely...*(Interruptions)*... Thank you, Sir. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Narain Dass Gupta. ...*(Interruptions)*... आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी। आप बोलिए।...**(व्यवधान)**...

SHRI NARAIN DASS GUPTA (National Capital Territory of Delhi): Sir, when the House is not in order, how can I make my point? ...*(Interruptions)*... Please bring the House in order. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापतिः आप बोलना चाहते हैं, तो बोलिए। ...**(व्यवधान)**...

SHRI NARAIN DASS GUPTA: As the House is not in order, it is not possible for me to speak. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Vivek K. Tankha...*(Interruptions)*... Now, the Minister's reply...*(Interruptions)*...

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): सर, हम लोग जो यह अमेंडमेंट लाए हैं, इसका मकसद बहुत ...**(व्यवधान)**... सर, मैं बहुत कम बोलूंगा। ...**(व्यवधान)**...सर, आर्बिट्रेशन ऐक्ट की धारा 36 में इस बात का प्रावधान है कि कोई आर्बिट्रेशन अवॉर्ड set aside हो जाएगा, अगर वह पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ होगा। पब्लिक पॉलिसी की खिलाफ़त किसको माना जाएगा - जो corruption, fraud से प्रभावित होगा। ...**(व्यवधान)**... यह straight बात है । ...**(व्यवधान)**... सर, हम लोगों ने सैक्शन 36 में ...**(व्यवधान)**... उसमें एक बात का प्रावधान था कि अब सीधा स्टे नहीं होगा, कोई चैलेंज करेगा, जब तक उसको कोर्ट स्टे नहीं करेगा, यह सैक्शन 36 का प्रोविज़न था। ...**(व्यवधान)**...

सर, आज के दिन हम यही कह रहे हैं कि अगर किसी अवॉर्ड को चैलेंज किया गया और अगर prima facie कोर्ट ने पाया कि यह fraud और corruption से प्रभावित है, तो कोर्ट स्टे करेगा। सर, हमें एक बात समझ में नहीं आती है कि करप्शन के नाम पर इनको परेशानी क्यों होती है? ..**(व्यवधान)**.. क्या भारत में ऐसे अवॉर्ड दिए जाएं, जो करप्शन से प्रभावित हैं,..**(व्यवधान)**..जहाँ सीबीआई की इन्क्वायरी चल रही है?..**(व्यवधान)**.. और ऐसे लोग collusive agreement के द्वारा अवार्ड देकर..**(व्यवधान)**..टैक्सपेयर के पैसे को वापस करने की कोशिश कर ..**(व्यवधान)**..रहे हैं। ..**(व्यवधान)**..सर, हमारी एकमात्र कोशिश है कि भारत में ईमानदारी से आर्बिट्रेशन हो।..**(व्यवधान)**..हमारी एकमात्र कोशिश है कि लोग टैक्सपेयर के पैसे को लूटकर न ले जाएं..**(व्यवधान)**..अवार्ड में। ..**(व्यवधान)**.. वही तो हम काम कर रहे हैं। ..**(व्यवधान)**.. कुछ लोगों ने सवाल किया है कि prima facie का मतलब क्या होता है? ..**(व्यवधान)**.. कोर्ट ने साफ-साफ कहा है कि, "A prima facie case does not mean proved to the hilt but a case which can be said to be certainly established if the evidence led in support of the same were believed."

सर, हमें एक चीज़ बताई जाए ..**(व्यवधान)**.. हमें एक चीज़ बताई जाए कि अगर ..**(व्यवधान)**.. ऐसे मामले में natural resources को लुटा दिया गया ..**(व्यवधान)**.. उनकी सरकार ने किया था ..**(व्यवधान)**.. उनकी सरकार ने। ..**(व्यवधान)**.. natural resources. ..**(व्यवधान)**.. सर, आज मैं हाउस में कहना चाहूंगा कि natural resources, जिसको ..**(व्यवधान)**.. सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ..**(व्यवधान)**.. ऑक्शन में देना था ..**(व्यवधान)**.. उनके समय में उसे लुटा दिया गया। ..**(व्यवधान)**.. कार्रवाई नहीं की गई। ..**(व्यवधान)**.. सर, आज सीबीआई की इन्क्वायरी चल रही है। ..**(व्यवधान)**.. मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वे लोग बाहर जाकर उसको ..**(व्यवधान)**.. एन्फोर्स कर रहे हैं। ..**(व्यवधान)**.. वे क्या कह रहे हैं? हज़ारों करोड़ रुपये दो ..**(व्यवधान)**.. हमारे क्लेम पर। ..**(व्यवधान)**.. तो पहले तो करप्शन से एग्रिमेंट करो ..**(व्यवधान)**.. करप्शन से natural resources को ..**(व्यवधान)**.. उस समय की सरकार कुछ काम करती नहीं थी ..**(व्यवधान)**.. हमारी सरकार आई ..**(व्यवधान)**.. सारी गड़बड़ी पकड़ी ..**(व्यवधान)**.. और आज इन्क्वायरी हो रही है। ..**(व्यवधान)**.. वे क्या कह रहे हैं? ..**(व्यवधान)**.. हमको पूरा पैसा भी दो। ..**(व्यवधान)**..एक इनवेस्टर अमरीका में..**(व्यवधान)**..एक इनवेस्टर दूसरी जगह पर

है।..**(व्यवधान)**.. The larger question to be considered is: भारत के टैक्सपेयर का पैसा जाएगा न उनके अवार्ड में? ..**(व्यवधान)**..उनका या किसी और का नहीं जाएगा।..**(व्यवधान)**..वे कार्रवाई करते नहीं हैं।..**(व्यवधान)**..हम कानून से भारत के आर्बिट्रेशन के ईको सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं..**(व्यवधान)**..ईमानदार कर रहे हैं। ..**(व्यवधान)**..उनको परेशानी हो रही है। ..**(व्यवधान)**..हम चाहते हैं कि वे परेशान हों।..**(व्यवधान)**..क्योंकि नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ईमानदारी से चलेगी। ..**(व्यवधान)**.. इसीलिए हम लोगों ने यह कानून लाने की कोशिश की। ..**(व्यवधान)**.. सर, जो बात हमारे दो-तीन मित्रों ने बताई ..**(व्यवधान)**.. यह सारा कुछ स्टे के लिए है। ..**(व्यवधान)**.. अगर वे जीत गए तो सेट असाइड हो जाएगा। ..**(व्यवधान)**.. लेकिन इस सदन को एक बात समझनी पड़ेगी ..**(व्यवधान)**..कि भारत एक आज़ाद मुल्क है।..**(व्यवधान)**.. क्या एक आज़ाद मुल्क में कुछ व्यापारी अपने सिस्टम को एब्यूज़ कर natural resources लेंगे, ..**(व्यवधान)**.. collusive contract करेंगे ..**(व्यवधान)**.. और बाहर जाकर..(व्यवधान).. एन्फोर्स करेंगे..**(व्यवधान)**..हज़ारो करोड़ मांगेंगे? ..**(व्यवधान)**.. उसको रोकने का एक ज़रिया इस कानून में ला रहे हैं। ..**(व्यवधान)**..इससे क्यों परेशानी हो रही है? ..**(व्यवधान)**.. सर, यही तो सीधी बात है। ..**(व्यवधान)**..हम चाहते हैं कि भारत आर्बिट्रेशन का बड़ा सेंटर बने। ..**(व्यवधान)**..हमने रिफॉर्म किया है।..**(व्यवधान)**..हम institutional reforms..*(Interruptions)*.. आर्बिट्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं ..**(व्यवधान)**.. और आर्बिट्रेशन काउंसिल भी बना रहे हैं ..**(व्यवधान)**.. जिसमें हम आर्बिट्रेशन को ..**(व्यवधान)**.. ग्रेडिंग करेंगे ..**(व्यवधान)**.. institutions की ..**(व्यवधान)**.. ताकि वह अच्छा आर्बिट्रेशन बनाए। ..**(व्यवधान)**.. सर, हम Schedule 'A' क्यों हटा रहे हैं? ..**(व्यवधान)**.. बहुत सिम्पल सी बात है कि ..**(व्यवधान)**.. Arbitration Council ही तय करे कि arbitrator की क्वालिटी क्या हो, उनकी गुणवत्ता क्या हो? ..**(व्यवधान)**..उनकी एलिजिबिलिटी क्या हो? ..**(व्यवधान)**.. कानून से नहीं..**(व्यवधान)**..हम आर्बिट्रेशन काउंसिल को अटॉनमी दे रहे हैं..**(व्यवधान)**..जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हेड करेंगे। ..**(व्यवधान)**..सर, यही तो सिम्पल कानून है। ..**(व्यवधान)**.. सर, हम कहना चाहते हैं..**(व्यवधान)**..हम यह ऑर्डिनेंस इसलिए लाए..**(व्यवधान)**..क्योंकि हमें भारत के टैक्सपेयर का पैसा बचाना था..**(व्यवधान)**..कर रहे थे..**(व्यवधान)**..इसीलिए यह एक national compelling necessity है..**(व्यवधान)**..इस बिल को पास करना। ..**(व्यवधान)**..हमें बहुत पीड़ा है कि हमारे विपक्ष के लोग एक दिन के लिए ..**(व्यवधान)**..देश हित के इस कानून को रोकने में लगे हुए हैं। ..**(व्यवधान)**..यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ..**(व्यवधान)**..यह बिलकुल वैधानिक है और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कृपा कर के इसे पारित करने की अनुमति दें।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill further to amend the Arbitration and Conciliation Act, 1996, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 5 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Minister to move that the Bill be passed.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet at 1100 hours on Monday, the 15th March, 2021.

The House then adjourned at thirty-two minutes past two of the clock till eleven of the clock on Monday, the 15th March, 2021